आदेश की क्रम सं0 और तारीख 1	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर 2	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख के साथ 3

न्यायालय, समाहर्त्ता, पश्चिम चम्पारण, बेतिया

वाद संख्या–सी0आर0एम0–11/13–14

मंसूर आलम

बनाम

बिहार सरकार

आदेश

23.09.2014

यह अपील वाद मंसूर आलम वल्द–स्व0 रफीक मियॉ सा0– जयमंगलपुर थाना–शिकापुर जिला–पश्चिम चम्पारण, बेतिया के द्वारा अनुज्ञापन पदाधिकारी–सह–अनुमंडल पदधिकारी, नरकटियागंज के आदेश दिनांक 14.06.2013 के विरूद्ध दायर किया गया, जिसके तहत् अपीलकर्ता के जनवितरण प्रणाली दुकान की अनुज्ञप्ति संख्या–66/07 को तत्कालिक प्रभाव से रद्द कर दिया गया है।

अपीलकर्ता का अपील आवेदन उनके विज्ञ अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में दाखिल किया गया। अपीलकर्ता के विज्ञ अधिवक्ता को सुना गया एवं निम्न न्यायालय के अभिलेख की मांग की गयी। निम्न न्यायालय का अभिलेख प्राप्त है। निम्न न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि प्रखंड आपूर्त्ति पदाधिकारी, नरकटियागंज द्वारा दिनांक 15.05.2013 को मंसूर आलम जनवितरण प्रणाली विक्रेता ग्राम–जयमंगलपुर प्रखंड–नरकटियागंज की दुकान की जांच की गयी। जांचोपरांत उन्होनें अनुमंडल पदाधिकारी, नरकटियागंज को प्रतिवेदन समर्पित किया जिसमें जनवितरण प्रणाली विक्रेता द्वारा निम्नलिखित अनियमितायें बरतने का उल्लेख किया गया है :–

1. कार्यवधि में बिना सूचना के दुकान बंद रखना।
2. बिक्री स्थल पर सूचनापट्ट नही टांगना।
3. मूल्य एवं भंडार प्रदर्शन पत्र नही टांगना।

आदेश की क्रम सं0 और तारीख 1	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर 2	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख के साथ 3
	4. वी0पी0एल0 अन्त्योदय राशन कार्ड में अग्रिम प्रविष्टियॉ करना। 5. वी0पी0एल0 अन्त्योदय में खाद्यान्न लाभूकों को कम अनाज देना एवं कीमत अधिक लेना। 6. किरासन तेल का कीमत अधिक लेना। 7. अक्टुबर–11, जनवरी–13 एवं फरवरी–13 का भुगतान सादा कूपन कार्यालय में जमा नही करना। 8. उपभोक्ताओं से अच्छा व्यवहार नही रखना। अनुमंडल पदाधिकारी, नरकटियागंज द्वारा आदेश में उल्लेंख किया गया है कि अपीलकर्ता से कारण पृच्छा की मांग की गयी। उन्होनें कारण पृच्छा दाखिल किया जिस में यह उल्लेख किया गया है कि उनके उपर लगाये गये आरोप सही नही है, लेकिन सुनवाई के पश्चात् अनुमंडल पदाधिकारी, नरकटियागंज द्वारा अपीलकर्ता पर लगाये गये आरोप को गम्भीरता से लेते हुए अपीलकर्ता की अनुज्ञप्ति संख्या–66 / 2007 को तत्कालिक प्रभाव से रद्द कर दिया गया है। इस आदेश के विरूद्ध अपीलकर्ता द्वारा अपील वाद दायर किया गया है इसमें उन्होनें पहले आरोप के संबंध में कहा गया है कि उनकी तबियत अचानक खराब हो गयी। जिसके कारण वे डाक्टर से दिखाने अस्पताल चले गये, फलस्वरूप दिनांक 15.05.2013 को दुकान बंद रही। दूसरे आरोप के संबंध में कहना है कि उनका सूचनापट्ट दो बार चोरी हो गया है, जिसके चलते वे सूचनापट्ट को दुकान के अन्दर रखते है जब दुकान खोलने पर उसे बाहर लगा दिया करते है। उनका कहना है कि वी0पी0एल0 / अन्त्योदय राशन कार्ड को वितरण के बाद ही पंजी में कार्ड संख्या प्रविष्ट करते है। यह भी कहा गया है कि कूपन पर छपे मात्रा के अनुरूप ही	

आदेश की क्रम सं0 और तारीख 1	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर 2	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख के साथ 3
	लाभुको को सामग्री की आपूर्ति करते है। उनका कहना है कि अक्टुबर–12 का कूपन कार्यालय में जमा कर दिये है। जनवरी–13 एवं फरवरी–13 का वितरण चल रहा था जो पूर्ण नहीं हुआ। उनका यह भी कहना है कि उपभोक्ताओं से उनका व्यवहार अच्छा है। अंत में अपीलकर्ता का यह कहना है कि वर्ष–2007 से उनके विरूद्ध आरोप नही लगाया गया है। अतः उनके द्वारा अपील को स्वीकृत करने के लिए अनुरोध किया गया है। उभय पक्ष के विज्ञ अधिवक्ताओं को सुना गया। निम्न न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया। अपीलकर्ता के उपर लगाये गये आरोप के संबंध में ग्रामीण जनता द्वारा हस्ताक्षरित आवेदन अनुमंडल पदाधिकारी, नरकटियागंज को दिया गया है जिसमें उन्होनें उल्लेंख किया है कि उन लोगों को जनवितरण प्रणाली विक्रेता मंसूर आलम से कोई शिकायत नही हैं, इनके उपर लगाये गये आरोप निराधार है। मुखिया ग्राम पंचायत राज धुमनगर प्रखंड–नरकटियागंज ने प्रमाण पत्र दिया है कि जनवितरण प्रणाली विक्रेता मंसूर आलम द्वारा किरासन तेल एवं खाद्यान्न का वितरण लाभुकों के बीच उचित मूल्य एवं सही मात्रा में उनके देख–रेख में किया जाता है उनके प्रति ग्रामीण जनता को किसी प्रकार की शिकायत नही है। इसके अतिरिक्त अन्य शपथ पत्र भी जनवितरण प्रणाली के विक्रेता के पक्ष में प्राप्त हुए है। उपरोक्त विवेचित तथ्यों से स्पष्ट ज्ञात होता है कि अनुज्ञापन पदाधिकारी–सह–अनुमंडल पदाधिकारी, नरकटियागंज द्वारा अपीलकर्ता के विरूद्ध लगाये गये आरोपों के संबंध में उनके द्वारा समर्पित कारण पृच्छा पर पूर्ण रूप से विचार नही किया है एवं उनके द्वारा दाखिल किये गये कागजातों पर बिना विचार	

आदेश की क्रम सं0 और तारीख 1	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर 2	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख के साथ 3
	किये हुए उनके अनुज्ञप्ति को रद्द कर दिया गया है। इस परिस्थिति में अनुज्ञापन पदाधिकारी–सह–अनुमंडल पदाधिकारी नरकटियागंज के आदेश दिनांक 14.06.2013 को रद्द करते हुए इस वाद को इस निदेश के साथ रिमांड किया जाता है कि जनवितरण प्रणाली विक्रेता से वितरण पंजी प्राप्त कर कम से कम 10–15 प्रतिशत उपभोक्ताओं का सत्यापन करें कि जिन उपभोक्ताओं को जितनी मात्रा में खाद्यान्न का वितरण पंजी में दिखाया गया है उतनी मात्रा में लाभुकों को खाद्यान्न प्राप्त हुआ है कि नही। जिन लाभुकों को खाद्यान्न का वितरण किया गया है उतने लाभुकों (उपभोक्ताओं) का कुपन उपलब्ध है या नही। यदि सत्यापन एवं जॉच के क्रम में उपरोक्त दोनो बिन्दुओं पर कोई अनियमितता नहीं पाई जाती है तो वे इनकी अनुज्ञप्ति को पुर्नजीवित कर देंगे अथवा उचित आदेश पारित करेंगे। लेखापित एवं संशोधित। जिला दण्डाधिकारी, पश्चिम चम्पारण, बेतिया 23/9/14 जिला दण्डाधिकारी, पश्चिम चम्पारण, बेतिया 23/9/14	